भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 6230
02 अप्रैल, 2026 को उत्तर देने के लिए

एकीकृत शीत श्रृंखला और मूल्यवर्धन अवसंरचना

†6230. श्री तापिर गावः
श्री कृष्ण प्रसाद टेन्नेटीः
श्री जगदम्बिका पालः
डॉ. हेमांग जोशीः
श्री भोजराज नागः
श्री दुलू महतोः
श्रीमती संजना जाटवः
श्री बिभु प्रसाद तराईः

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में राजस्थान और उत्तर प्रदेश सहित खेत-से-उपभोक्ता तक शीत भंडारण और लॉजिस्टिक अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए एकीकृत शीत श्रृंखला और मूल्यवर्धन अवसंरचना के अंतर्गत स्वीकृत और कार्यान्वित परियोजनाओं की जिला-वार संख्या कितनी है;
(ख) प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पी.एम.के.एस.वाई.) के अंतर्गत देश में, उक्त राज्यों सहित, बनाई गई शीत भंडारण क्षमता, प्रशीतित परिवहन और पैक हाउस अवसंरचना का ब्यौरा क्या है; और
(ग) उक्त परियोजनाओं ने कृषि और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में फसल कटाई के बाद के नुकसान को कम करने और मूल्यवर्धन में सुधार करने में किस हद तक योगदान दिया है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क): दिनांक 31.12.2025 तक, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) की घटक योजना- एकीकृत शीत श्रृंखला और मूल्य वर्धन अवसंरचना (शीत श्रृंखला योजना) के अंतर्गत राजस्थान राज्य और उत्तर प्रदेश में क्रमशः 14 और 26 परियोजनाओं सहित देश भर में 402 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। 402 परियोजनाओं में से 301 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और पूरे देश में वाणिज्यिक प्रचालन शुरू कर दिया गया है जिसमें राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों में क्रमशः 13 और 20 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और प्रचालनरत हैं। राजस्थान और उत्तर प्रदेश सहित देश भर में शीत श्रृंखला योजना के अंतर्गत स्वीकृत शीत श्रृंखला परियोजनाओं का जिलावार वितरण **अनुबंध** में दिया गया है।

(ख): दिनांक 31.12.2025 तक, पीएमकेएसवाई के अंतर्गत, लगभग 51.85 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष की परिरक्षण क्षमता वाली 690 शीत भंडारण सुविधाएं सृजित की गई हैं और देश भर में पीएमकेएसवाई की विभिन्न घटक योजनाओं के अंतर्गत अनुमोदित 422 पूर्ण और चालू खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं के माध्यम से 1,768 रीफर वाहन की खरीद में सहायता प्रदान की गई है, जिसमें राजस्थान राज्य में 0.506 एलएमटी की शीत भंडारण क्षमता और 19 पूर्ण और चालू खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं से 68 रीफर वाहन तथा उत्तर प्रदेश राज्य में 29 पूर्ण और चालू खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं से 0.755 एलएमटी की शीत भंडारण क्षमता और 121 रीफर वाहन शामिल हैं।

(ग): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय समय-समय पर प्राथमिक सर्वेक्षणों के आधार पर अध्ययन करके देश में विभिन्न कृषि उत्पादों के लिए फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान का अनुमान लगाता है। मंत्रालय द्वारा दो अध्ययन (i) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) - केंद्रीय फसल कटाई इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान (सीआईपीएचईटी), वर्ष 2015 संदर्भ वर्ष 2012-14 के साथ और (ii) नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विस प्रा लिमिटेड (एनएबीसीओएनएस), 2022 संदर्भ वर्ष 2020-22 के साथ शुरू किए गए थे। कटाई के बाद होने वाले नुकसान पर उपलब्ध अध्ययन प्रकृति में समय-समय पर होते हैं और वर्ष-वार अनुमान प्रदान नहीं करते हैं।

इस प्रकार, इन दो अध्ययनों के निष्कर्षों के अनुसार, इन अध्ययनों के अंतर्गत शामिल फसलों के लिए कटाई के बाद होने वाले नुकसान में कमी देखी गई है। तदनुसार, भारत में विभिन्न कृषि उत्पादों के फसल कटाई के बाद नुकसान का अनुमानित प्रतिशत निम्नानुसार है:

फसल / वस्तुएं	**अनुमानित प्रतिशत हानि**	
	आईसीएआर-सीफेट अध्ययन के अनुसार (2015)	**नेब्कोंस अध्ययन के अनुसार (2022)**
अनाज	4.65 - 5.99	3.89-5.92
दाल	6.36 - 8.41	5.65-6.74
तिलहन	3.08 - 9.96	2.87-7.51
फल	6.70-15.88	6.02-15.05
सब्जियां	4.58-12.44	4.87-11.61
बागान फसल और मसाला	1.18-7.89	1.29-7.33
दूध	0.92	0.87
मत्स्य पालन (अंतर्देशीय)	5.23	4.86
मत्स्य पालन (समुद्री)	10.52	8.76
मांस	2.71	2.34
मुर्गी पालन	6.74	5.63
अंडा	7.19	6.03

पीएमकेएसवाई की विभिन्न घटक योजनाओं के अंतर्गत 422 पूर्ण और प्रचालनरत परियोजनाओं द्वारा सृजित 196.20 एलएमटी / वर्ष की कुल प्रसंस्करण और परिरक्षण क्षमता कृषि उत्पादों / वस्तुओं की कटाई के बाद होने वाले नुकसान को उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ाकर, उनके प्रसंस्करण स्तर / मूल्य वर्धन को बढ़ाकर और उन्हें पूरे देश में उपभोक्ताओं के लिए वर्ष भर उपलब्ध कराकर कम करने में मदद करती है।

अनुबंध

दिनांक 02.04.2026 को उत्तर के लिए "एकीकृत शीत श्रृंखला और मूल्य वर्धन अवसंरचना" के संबंध में लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 6230 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

दिनांक 31.12.2025 तक शीत श्रृंखला योजना के अंतर्गत स्वीकृत/पूर्ण और प्रचालनरत परियोजनाओं का जिला-वार वितरण

क्र.सं.	राज्य/संघ-राज्य क्षेत्र	जिला	अनुमोदित परियोजना की संख्या	पूर्ण परियोजनाओं की संख्या
1.	**आंध्र प्रदेश**			
		अनंतपुर	1	1
		चित्तूर	3	2
		पूर्वी गोदावरी	7	5
		गुंटूर	1	1
		कृष्णा	8	4
		नेल्लोर	4	2
		प्रकाशम	1	1
		विशाखापत्तनम	3	2
		पश्चिमी गोदावरी	5	5
		एलुरु	1	0
		वाईएसआर कडपा	1	0
2.	**अंडमान व निकोबार द्वीप समूह**			
		पोर्टब्लेयर	1	1
3.	**अरुणाचल प्रदेश**			
		तवांग	2	1
4.	**असम**			
		गुवाहाटी	2	2
5.	**बिहार**			
		बेगूसराय	1	1
		गोपालगंज	1	0
		पटना	1	0
		मुजफ्फरपुर	1	1
		किशनगंज	1	1
6.	**छत्तीसगढ**			
		दंतेवाड़ा	1	0
		रायपुर	2	2
7.	**गुजरात**			
		अहमदाबाद	1	1
		आनंद	1	1
		बनासकांठा	1	1
		भावनगर	1	1
		गिर सोमनाथ	2	1
		खेड़ा	1	1

क्र.सं.	राज्य/संघ-राज्य क्षेत्र	जिला	अनुमोदित परियोजना की संख्या	पूर्ण परियोजनाओं की संख्या
		मेहसाणा	10	8
		मोरबी	2	2
		पंचमहल	1	1
		साबरकांठा	2	2
		सूरत	2	1
		वडोदरा	2	2
		नवसारी	2	0
		वलसाड	1	1
8.	**हरियाणा**			
		बावल	1	1
		फरीदाबाद	1	1
		गुरुग्राम	1	1
		गन्नौर	1	0
		हिसार	2	2
		झज्जर	1	1
		मेवात	1	1
		नूह	1	0
		पलवल	2	2
		पंचकुला	1	1
		पानीपत	1	0
		रेवाड़ी	1	1
		सिरसा	1	1
		सोनीपत	8	6
9.	**हिमाचल प्रदेश**			
		शिमला	7	4
		सोलन	7	6
		ऊना	2	2
		कुल्लू	1	1
10.	**जम्मू और कश्मीर**			
		बारामूला	1	1
		कठुआ	1	0
		पुलवामा	2	2
		रंगरेथ	1	1
		श्रीनगर	1	1
		सांबा	1	0
11.	**कर्नाटक**			
		बैंगलोर	1	1
		बेलगाम	3	2
		बीजापुर	1	1
		दक्षिण कन्नड़	3	2

क्र.सं.	राज्य/संघ-राज्य क्षेत्र	जिला	अनुमोदित परियोजना की संख्या	पूर्ण परियोजनाओं की संख्या
		हसन, बेलगाम, बैंगलोर	1	1
		हावेरी	1	1
		कोलार	1	1
		रामनगर	2	2
		तुमकुर	2	1
		उडुपी	1	1
		उत्तर कन्नड़	1	1
		विजयपुरा	1	0
12.	**केरल**			
		अलप्पुझा	3	2
		कोच्चि	1	1
		पट्टनमथिट्टा	1	1
		एर्नाकुलम	2	0
		इडुक्की	1	0
		थिरस्सुर	1	0
13.	**मध्य प्रदेश**			
		बरवानी	1	1
		बेतुल	2	1
		भोपाल	1	1
		इंदौर	1	1
		जबलपुर	3	2
		मुरैना	1	1
		उज्जैन	1	1
		धार	1	0
		झाबुआ	1	0
14.	**महाराष्ट्र**			
		अहमदनगर	3	1
		अमरावती	2	1
		औरंगाबाद	2	0
		बीड	2	0
		उस्मानाबाद	1	0
		चंद्रपुर	1	1
		कोल्हापुर	1	1
		लातूर	1	1
		मुंबई	2	2
		नागपुर	6	5
		नासिक	15	11
		नवी मुंबई	3	3
		पालघर	2	1
		पुणे	14	13
		रायगढ़	8	7

क्र.सं.	राज्य/संघ-राज्य क्षेत्र	जिला	अनुमोदित परियोजना की संख्या	पूर्ण परियोजनाओं की संख्या
		सांगली	2	1
		सतारा	3	3
		शोलापुर	5	3
		श्रीरामपुर	1	1
		ठाणे	2	2
		पुणे	1	1
15.	**मणिपुर**			
		सेनापति	1	1
16.	**मिजोरम**			
		आइजोल	2	2
17.	**नागालैंड**			
		दीमापुर	2	1
18.	**उड़ीसा**			
		बालासोर	2	2
		कटक	1	1
		खुर्दा	2	1
		संबलपुर	1	0
		बलंगीर	2	0
19.	**पंजाब**			
		अमृतसर	1	1
		फतेहगढ़ साहिब	4	4
		फाजिल्का	1	1
		होशियारपुर	1	1
		जालंधर	2	2
		कपूरथला	2	2
		लुधियाना	2	2
		मोगा	1	1
		मोहाली	2	1
		नवांशहर	1	1
		पटियाला	3	3
		रोपड़	1	1
		मुक्तसर साहिब	1	
		एस ए एस नगर	1	
		संगरूर	1	1
20.	**राजस्थान**			
		अलवर	1	1
		बीकानेर	3	3
		बूंदी	1	1
		बाड़मेर	1	0
		धौलपुर	1	1
		हनुमानगढ़	1	1
		जयपुर	4	4

क्र.सं.	राज्य/संघ-राज्य क्षेत्र	जिला	अनुमोदित परियोजना की संख्या	पूर्ण परियोजनाओं की संख्या
		कोटा	2	2
21.	**तमिलनाडु**			
		चेन्नई	1	1
		कोयम्बटूर	2	1
		डिंडीगुल	4	3
		इरोड	1	1
		कांचीपुरम	2	1
		कृष्णागिरी	1	1
		थेनी	2	2
		थिरूवल्लूर	2	2
		तिरुनेलवेली	1	1
		त्रिची	4	1
		तूतीकोरिन	1	1
		नमक्कल	1	0
		तिरूपुर	1	0
22.	**तेलंगाना**			
		हैदराबाद	2	1
		करीमनगर	1	1
		मेडक	3	3
		महबूबनगर	1	1
		रंगारेड्डी	2	2
		विकाराबाद	1	1
		यादाद्री भवन	1	1
		नाल्गोंडा	2	
		मल्कागिरी	1	
		संगारेड्डी	2	
23.	**उत्तर प्रदेश**			
		आगरा	2	2
		इलाहाबाद	1	1
		अमरोहा	1	1
		अलीगढ़	1	
		बलिया	1	
		औरैया	1	1
		बदायूं	1	1
		बुलंदशहर	1	1
		इटावा	1	
		फरुखाबाद	1	1
		गौतम बुद्ध नगर	3	3
		गोरखपुर	1	1
		हापुड़	1	1
		जालौन	2	1

क्र.सं.	राज्य/संघ-राज्य क्षेत्र	जिला	अनुमोदित परियोजना की संख्या	पूर्ण परियोजनाओं की संख्या
		कानपुर देहात	1	1
		लखनऊ	1	
		मथुरा	2	1
		पंचशील नगर	1	1
		शाहजहाँपुर	1	1
		उन्नाव	2	2
24.	**उत्तराखंड**			
		हरिद्वार	5	3
		काशीपुर	1	1
		नैनीताल	3	2
		उधम सिंह नगर	21	21
25.	**पश्चिम बंगाल**			
		बर्धमान	1	1
		हुगली	4	3
		हावड़ा	4	4
		मेदिनीपुर	1	1
		उत्तरी 24 परगना	2	1
		पश्चिमी मेदिनीपुर	1	1
		दक्षिण 24 परगना	3	1
		कुल	**402**	**301**
